फर्द अहकाम

2015/00027

राजेश बनाम रामु

म न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

न संख्या 156/2016

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		28.7.22 पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. ... /अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23.9.22 को पेश हो।	
	23/09/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। वकील पक्षकार ने कुरेजात प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निवेदन किया जिसके लिए तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बस्सी ने पत्रांक भू०अभि०/2022/1237 दिनांक 17/02/2022 के द्वारा कुरेजात रिपोर्ट न भेजकर कुरेजात रिपोर्ट के संबंध में जवाब प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया की उक्त वादग्रस्त भूमि खा.न. 119, 132, 133 स्थित ग्राम विरजंपुरा तहसील बस्सी जि. जयपुर के कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा मे पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बरान पर कालोनी काटी जा चुकी है एवं वादी राजेश पुत्र रामगोपाल	

[signature]

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किया जा चुका है और वर्तमान में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है जिस कारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं है।
		पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार बस्सी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से विभाजन होना संभव नहीं है। अतः उक्त वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।
		पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर